



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005  
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007  
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/E/20/00236

दिनांक: 27 July, 2020

**Shri Rohit Tiwari,**  
Village-Doba bhagu, Post office -gallagaon, District -Champawat,  
Uttarakhand-262524  
**Uttarakhand**

**विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।**

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 29 June, 2020 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।


उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

**श्री बी.एन.डे.भौमिक,**  
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी विकास) एवं अपील प्राधिकारी  
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।  
ईमेल आईडी: [appellate.cc@powergrid.co.in](mailto:appellate.cc@powergrid.co.in)  
फोन नंबर: 0124-2571790,2863616

धन्यवाद,

भवदीय,

  
(जसबीर सिंह) 27/07/2020

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: [cpio.cc@powergrid.co.in](mailto:cpio.cc@powergrid.co.in)

**Sub.: Reply to RTI Query by Shri Rohit Tiwari, Champawat, Uttarakhand.**

|          |  |
|----------|--|
| प्रश्न 1 | पावरग्रिड में मृतक आश्रित को नौकरी देने व नहीं देने दोनों से संबंधित नियमावली प्रदान करने की कृपा करें ?   |
| उत्तर 1  | पावरग्रिड कर्मचारी के आश्रितों में से एक को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है जो ड्यूटी के दौरान हुए दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी रूप से अक्षम हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है।   |
| प्रश्न 2 | पावरग्रिड में कर्मचारी की मृत्यु होने पर, से संबंधित सम्पूर्ण नियमावली देने की कृपा करें ?   |
| उत्तर 2  | पावरग्रिड में कर्मचारी की मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के द्वारा नामित को पावरग्रिड कर्मचारी पारिवारिक आर्थिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत, वह सभी लाभ जो कर्मचारी के निगम से अलग होने के स्थिति में देय होता है जैसे कि डेथ रिलिफ स्कीम से संबंधित लाभ, पी.एफ., ग्रेच्युटी, पावरग्रिड पेंशन एवं सामूहिक वीमा (EDLI) की राशि पावरग्रिड में जमा करने पर कर्मचारी की संभावित सेवानिवृत्ति की तिथि तक प्रतिमाह अंतिम वेतन का पचास प्रतिशत राशि मिलेगी। |
| प्रश्न 3 | पावरग्रिड में शासकीय कार्य करने पर ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने के संबंधित सम्पूर्ण नियमावली देने की कृपा करें ?  |
| उत्तर 3  | यह सवाल स्पष्ट नहीं है। मगर अगर यह जानकारी यदि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है तो उसका जवाब क्रम संख्या 2 में मांगी गई जानकारी में दे दिया गया है।   |

-----x-----

